समाहरणालय, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी
(जिला योजना कार्यालय)
निविदा आमंत्रण सूचना

सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजनान्तर्गत माननीय सांसद डॉ0 श्री अनिल कुमार साहनी के सांसद निधि से पूर्वी चम्पारण जिला अन्तर्गत फॉगिंग मशीन (हस्तचालित), चलंत शौचालय (डिलक्स मॉडल) एवं सक्शन मशीन क्रय की अनुशंसा की है। तदनुसार सभी उपकरण/सामग्री निम्नांकित सूची के अनुसार क्रय निर्धारण हेतु द्वि–लिफाफा पद्धति के आधार पर इच्छुक प्रतिष्ठित निबंधित निर्माता/प्रतिष्ठिानों एवं अधिकृत विक्रेताओं/ आपूर्तिकार्ताओं से मुहरबंद निविदा दिनांक–06.01.2014 के अपराहन 05:00 बजे तक आमंत्रित की जाती है। प्राप्त निविदाओं को दिनांक– 07.01.2014 को अपराहन 03:00 बजे जिला क्रय समिति के समक्ष खोला जायगा, जिसमें निविदादाता स्वयं या उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि उपस्थित हो सकते है।

क्र0	सामग्री/उपकरण का नाम	कुल
1	मच्छर मारने की फॉगिंग मशीन (हस्तचालित)	1 (एक) अदद
2	चलंत शौचालय, डिलक्स मॉडल (छः सीट) सभी आवश्यक सामानों के साथ	1 (एक) अदद
3	सक्शन मशीन (4000 ली0) लोहे के सीट से निर्मित	1 (एक) अदद

निविदा को http://eastchamparan.bih.nic.in/ पर देखा/डाउनलोड किया जा सकता है। निविदा जिला योजना पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी के कार्यालय में जमा किया जाना है। तकनीकि निविदा में सफल होने वाले निविदादाताओं की ही वित्तीय निविदा खोली जायेगी।

तकनीकी निविदा की शर्ते :–

1. निविदा–दाता को वैट रजिस्ट्रीकरण प्रमाण–पत्र, एस0एस0आई0 रजिस्ट्रेशन तथा पैन नम्बर प्राप्त होना चाहिए, तत्संबंधी प्रमाण–पत्र की छाया प्रति निविदा के साथ संलग्न होना चाहिए।
2. अग्रधन के रुप में जिला योजना पदाधिकारी के पदनाम से रुपया 25000.00(पच्चीस हजार) का बैंक ड्राफ्ट जों पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी में भुगतेय होगा, जमा करना होगा।
3. निविदा–दाता को काली सूची में दर्ज नही होने का शपथ पत्र देना होगा।
4. निविदा–दाता को इस आशय का प्रमाण–पत्र देना होगा कि उन्हे निविदा की सभी शर्ते मान्य है।

वित्तीय निविदा की शर्ते :–

1. वित्तीय निविदा में उपलब्ध सूची के अनुसार सामग्री का नाम, स्पेशिफिकेशन एवं प्रति इकाई दर सभी कर सहित देना होगा।
2. कार्यादेश के अनुरुप उपकरणों की आपूर्ति निर्धारित समय सीमा के अन्दर अपने व्यय से चिन्हित स्थानों पर करना होगा।

सामान्य शर्ते :–

1. बिना कारण बताये निविदा को अस्वीकृत/रदद किया जा सकता है।
2. निविदा खोलने के समय निविदा–दाता स्वंय अथवा उनके द्वारा प्राधिकृत प्रतिनिधि ही भाग ले सकते है।
3. निविदा दो अलग–अलग मुहरबंद लिफाफे मे होगी। एक पर तकनीकि निविदा लिफाफा एवं दूसरे पर वितीय निविदा लिफाफा अवश्य लिखें। दोनो लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर मुहरबंद कर जमा करना होगा।
4. स्वीकृत आपूर्तिकर्ता को विपत्रों पर नियमानुसार स्त्रोत पर निर्धारित कर की कटौती के बाद ही विपत्र का भुगतान किया जायेगा।
5. किसी विवाद की स्थिति में अधोहस्ताक्षरी का निर्णय अंतिम होगा।
6. आपूर्ति आदेश निर्गत होने के 15 दिनों के अन्दर सभी उपकरण की आपूर्ति चिन्हित स्थानों पर करनी होगी, अन्यथा संबंधित फर्म की जमानत की राशि जब्त कर आवश्यक कार्रवाई की जायेगी।
7. उपकरणों की आपूर्ति के पश्चात पॉच वर्षो तक रख–रखाव करना आपूर्तिकर्ता के लिए अनिवार्य होगा।

18/12

जिला योजना पदाधिकारी
पूर्वी चम्पारण, मोतिहारी

18/12